## निर्णय लेने की प्रकिया

### वन विभाग में निर्णय प्रकिया, पर्यवेक्षण, जिम्मेदारियों का विवरण

राज्य, सरकार द्वारा वन विभाग का प्रशासनिक नियंत्रण अतिरिक्त मुख्य सचिव, ढांचागत संरचना एवं वन, के अधीन किया गया है। विभिन्न स्तर के अधिकारियों के सम्बंध में निर्णय लेने के सम्बंध में विवरण निम्नानुसार है–

### अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन

विभाग में कार्यकलापों के सम्बंध में भारत सरकार एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार नीति निर्धारण, विभागीय कार्यकलापों एवं गतिविधियों का सुचारू रूप से संचालन, पर्यवेक्षण, नियंत्रण विभाग से संबंधित अधिनियमों में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार कार्य निष्पादन।

### प्रशासन सचिव/शासन सचिव

विभाग द्वारा संपादित किये जा रहे रोजमर्रा के प्रशासनिक कार्यों का निपटारा, राज्य सरकार के अन्य सचिवों के साथ विभागीय मसलों पर, विचार विमर्श एवं विभिन्न अधिनियमों में राज्य सरकार द्वारा दिये गये अधिकारों के अंतर्गत कार्य का निटारा करना एवं विभाग को समय–2 पर आवश्यक मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण, प्रदान करना आदि।

### प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान

प्रधान मुख्य वन संरक्षक विभाग के कार्यों एवं दायित्यों से संबंधित राज्य स्तर पर प्रशासनिक नियंत्रण एवं निर्देशन, प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संपादित करने हेतु मुख्यालय पर अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन, विकास, परियोजनाऐं , प्रबोधन एवं मूल्यांकन तथा अरावली परियोजना एवं अन्य अधिकारीगण पदस्थापित हैं।

### प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक

वन्यजीवों के प्रभावी संरक्षण हेतु वन्यजीव अधिनियम, 1972 प्रदेश में लागू है, इस अधिनियम में वन्यजीवों से संबंधित प्रकरणों में निर्णय लेने हेतु मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक को अधिकृत किया गया है।

**प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त**

राज्य में वनों के सीमांकन एवं वन बन्दोबस्त के साथ–साथ तेंदू पत्ता व्यापार योजना, विभागीय कार्य योजना का कार्य आवंटित है। उक्त कार्यों में सहायता हेतु अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उत्पादन का पदस्थापन इनके अधीन किया गया है।

**प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रशिक्षण, अनुसंधान, प्रसार एवं शिक्षा**

राज्य में वाहय सहायता प्राप्त परियोजनाओं का पर्यवेक्षण, परियोजनाओं का सूत्रीकरण, वानिकी अनुसंधान तथा वानिकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण का कार्य आवंटित किया गया है। इनकी सहायता हेतु मुख्य वन संरक्षक, परियोजना सूत्रीकरण, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण जयपुर, वन संरक्षक प्रशिक्षण तथा वन संरक्षक अनुसंधान को इनके अधीन किया गया है।

**अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, परियोजना**

नदी घाटी क्षेत्रों (कडाना माही, चम्बल, दांतीवाडा, साबरमती एवं बनास नदी क्षेत्रों में भू–संरक्षण का कार्य देख रहे है।

**अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरावली वृक्षारोपण परियोजना**

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरावली वृक्षारोपण परियोजना जबीआईसी से वित्तपोषित राजस्थान वानिकी विकास परियोजना के कार्यों का सुपरविजन कर रहें हैं। जो राज्य के 18 जिलों में कियान्वित की जा रही है।

**मुख्य वन संरक्षक, कोटा, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर**

प्रधान मुख्य वन संरक्षक के निर्देशन में कमशः मुख्य वन संरक्षक, कोटा के अधीन वन संरक्षक अजमेर, कोटा व मुख्य वन संरक्षक उदयपुर के अधीन कमशः वन संरक्षक, उदयपुर, वन संरक्षक एवं निदेशक विश्व खाद्य कार्यकम, उदयपुर है जो उनके अधीन क्षेत्रों में वन विकास कार्यों एवं अन्य कार्य कर रहे है। मुख्यच वन संरक्षक, जोधपुर में अधीन कमशः वन संरक्षक, जोधपुर एवं सीका, मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर के अधीन वन संरक्षक, स्टेज–।/ ।।, बीकानेर एवं मुख्य वन संरक्षक, जयपुर के अधीन वन संरक्षक, भू–संरक्षण, जयपुर एवं वन संरक्षक, अरावली कार्यरत है।

**वन विभाग राजस्थान में विभिन्न स्तरों पर निर्णय लेने की प्रकिया निम्नानुसार है।**

वन विभाग में कार्यों की प्रकृति को देखते हुए विभाग में तीन प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद सृजित किये गये हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर संपूर्ण विभाग के

प्रशासनिक एवं वित्तीय प्रबंध के प्रभारी है। जो राज्य सरकार को रिपोर्ट करते हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण नियम अधिनियम, 1972 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर अंतिम निर्णय लेते है। इसी प्रकार प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त विभाग में सीमा संघनन, कार्य आयोजना एवं तेंदू पत्ता, विभागीय कार्य के बारे में निर्णय लेते है। निर्णय की प्रक्रिया में प्रकरण की प्रकृति अनुसार लम्बित प्रकरणों पर विभाग में विभिन्न स्तरों यथा सहायक वन संरक्षक, उप वन संरक्षक, वन संरक्षक, मुख्य वन संरक्षक, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक आदि द्वारा परीक्षण किये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों के अनुसार निर्णय लेते हैं, ऐसे प्रकरण जो सक्षमता से परे हैं उनके बारे में राज्य सरकार निर्णय लेती है। इसमें अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मुख्य वन संरक्षक, वन संरक्षक एवं मंडल वन अधिकारी उनके क्षेत्राधिकार में राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों में निर्णय लेते हैं।